कमल सिंह और अन्य बनाम समर सिं

(अमन चौधरी, जे.)

अमन चौधरी से पहले, जे.

कमल सिंह और अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

2017 का सुमेर सिंह प्रतिवादी सी. आर. एम. संख्या 23096

30 सितंबर, 2022

दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973**-धारा **482**-भारतीय दंड संहिता, **1860**-एस. एस. **420, 467, 468, 471** और **120** बी-आरोपमुक्त करने का आदेश-पुनरीक्षण न्यायालय को मौजूदा **सबूतों** की पुनः सराहना करने का अधिकार नहीं है और वह केवल अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हो, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भौतिक साक्ष्य की अनदेखी या गलत तरीके से पढ़ा जाए, जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करने के उद्देश्य से आक्षेपित आदेश का आधार नहीं था जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त किया जाता है-इसलिए, आरोपमुक्त करने के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय के पास मौजूदा सबूतों की पुनः सराहना करने की भी शक्ति नहीं है और वह केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है यदि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता है या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भौतिक सबूतों की अनदेखी की गई है या गलत पढ़ा गया है, जो कि निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद करने के उद्देश्य से विवादित आदेश में बनाया गया आधार नहीं था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया गया था।

(पैरा 22)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयवीर यादव, हर्षवर्धन रंगा ने सहायता प्रतिवादी की ओर से शशि कुमार यादव, अधिवक्ता

अमन चौधरी, जे।

(1) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान याचिका में चुनौती विद्वान सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा पारित दिनांक 26.5.2017 के आदेश को दी गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471,120-बी के तहत शिकायत मामले संख्या 144 दिनांक 26.7.2012 में विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोसली द्वारा पारित दिनांक 16.11.2016 के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई है, जिसके तहत वर्तमान याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया गया था।

तथ्यात्मक पहलूः

(2) यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी/शिकायतकर्ता-सुमेर सिंह द्वारा वर्तमान याचिकाकर्ताओं, अर्थात् कमल सिंह और सतपाल सिंह और एक आरोपी, अर्थात् श्रीमती ममता यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। ममता यादव को 26.07.2012 को भा.दं.सं. सी. की धारा 420,467,468,471 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। वर्तमान याचिकाकर्ताओं को विद्वान उपखण्ड न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 14.07.2015 आदेश के माध्यम से बुलाया गया था। उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोसली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए जबकि आरोपी ममता यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420,467,468,471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए बुलाया गया था। इसके बाद, पूर्व-आरोप सबूतों का नेतृत्व किया गया और 16.11.2016 पर आरोप तय किए गए, जिससे याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त किया गया और ममता यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए।

(3) इसमें शिकायतकर्ता/प्रतिवादी ने 28.04.2017, आरोपमुक्त करने के उपरोक्त आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण दायर किया, जिसे संलग्नक पी-3 आदेश द्वारा अनुम लिखी गई 26.05.2017, संलग्नक पी-4 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, जिसके तहत रेवाड़ी में पुनरीक्षण न्यायालय ने निचली अदालत को आरोप तय करने के मुद्दे पर नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

(4) उक्त आदेश से व्यथित महसूस करते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने विद्वान सत्र न्यायधीश रेगरी द्वारा आपेक्षित निर्णय पारित दिनांक 26.05.2017, अनुबध पी-4 के विवादित फैसले को रद करने के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की है। सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी।

(5) शुरुआत में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के सह-ग्रामीण हैं, जो उनके खिलाफ द्वेष रखते हैं, जिसके कारण, वर्तमान शिकायत उनके द्वारा दायर की गई थी। अन्यथा, वह न तो उस नौकरी के लिए उम्मीदवार थे जो ममता यादव ने हासिल की थी और न ही उन्हें ममता यादव द्वारा अर्जित किसी भी शैक्षणिक योग्यता या उनके द्वारा अर्जित अधिवास से वंचित किया गया था।इसके अलावा, ममता यादव ने अपने खिलाफ आरोप तय करने या विवादित आदेश को चुनौती नहीं दी है और मुकदमे का सामना कर रही हैं।

(6) उन्होंने यह भी कहा कि यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि ममता यादव, जिनके खिलाफ आरोप तय किया गया है, ने न तो पुनरीक्षण अदालत के समक्ष इसे चुनौती दी थी और न ही इस अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता हैं।

प्रस्तुतियाँः

(7) याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाने विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का पहला आधार यह है कि शिकायतकर्ता ने पहले 28.08.2007 को वर्तमान याचिकाकर्ता और एक ममता यादव के खिलाफ समान आरोपों के साथ एक समान शिकायत दर्ज की थी! जिसे 11.06.2009, Ex के आदेश के माध्यम से वापस ले लिया गया था। डी/3, नए सिरे से फाइल

करने की स्वतंत्रता मांगे बिना। इस प्रकार, शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा 26.07.2012 को दर्ज की गई शिकायत विचारणीय नहीं थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत पुनरीक्षण न्यायालय ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभिलेख के अनुसार, दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होने के संबंध में आपत्ति, विद्वान निचली अदालत के समक्ष नहीं ली गई थी, जिसे उन्होनें प्रस्तुत किया, उस निष्कर्ष के विपरीत है जो निचली अदालत द्वारा वापस किया गया था, जिसका प्रभाव यह था कि किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि एक बार आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है और उसी तथ्यों पर नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के बिना वापस ले ली जाती है, और यदि ऐसी शिकायत फिर से दर्ज की जाती है, तो मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।इस संबंध में उन्होंने इस न्यायालय को विवादित निर्णय के पैरा 25 और इस संबंध में पैरा 8 में निचली अदालत के निष्कर्ष द्वारा से लिया है, जो इस प्रकार हैः-

> "8. अभियुक्त संख्या 1 की दोष सिद्धि पर आते हुए, दोहरी योग्यता और उसका लाभ उठाने के प्र'ान पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि पिछली आपराधिक शिकायत Ex.D1 को वर्तमान शिकायतकर्ता द्वारा आदेश Ex.D3 के माध्यम से वापस ले लिया गया है। इसी तरह के आरोप लगाए गए थे और अदालत में इसके दो साल लंबित रहने के बाद, शिकायतकर्ता Ex.D2 के बयान के माध्यम से इसे विधिवत वापस ले लिया गया था। उक्त बयान में कोई कारण नहीं बताया गया है कि उस शिकायत को क्यों वापस लिया गया था। किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि एक बार आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है और उसे वापस ले लिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को उन्हीं तथ्यों पर नई शिकायत दर्ज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। यदि ऐसे शिकायतकर्ता को शिकायतों को वापस लेने की अनुमति दी जाती है और जब वह उचित समझता है तो नई आपराधिक शिकायतें फिर से दर्ज की जाती हैं, तो मूल रूप से मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।इसके अलावा, इस संबंध में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सुपिंदर सिंह में निर्धारित अनुपात पर रखा जा सकता है बनाम भविष्य निधि निरीक्षक **1997 (4)** आर**.** सी**.** आर**.** (आपराधिक) **449** (पी एंड एच)**।"** मामले मे निर्धारित अनुपात पर भरोसा किया जा सकता है।

(8) जहाँ तक दूसरी शिकायत की स्थिरता का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 257 का संदर्भ देते हुए प्रस्तुत करता है कि यदि शिकायत वापस ले ली गई है, तो वही अभियुक्त को दोषमुक्तिने के बराबर है। वह आगे खंड 300 भारतीय दंड संहिता का उल्लेख करते हुए तर्क देते हैं कि एक बार जब कोई व्यक्ति बरी हो जाता है, तो उसी अपराध के लिए उस पर फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुपिंदर सिंह बनाम भविष्य निधि निरीक्षक के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित एक फैसले पर भरोसा करते हैं।

(9) विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का दूसरा मुद्दा यह है कि पुनरीक्षण न्यायालय का दायरा सीमित था और निचली अदालत के समक्ष सबूत की पुनः सराहना नहीं की जा सकती थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि निचली अदालत ने सही पहलू और साक्ष्य पर विचार किया था, तभी भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120-बी के तहत याचिकाकर्ताओं को आरोप से मुक्त करने के लिए एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचा था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को भेजते समय एकमात्र तथ्य यह रखा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 कमल सिंह और याचिकाकर्ता संख्या 2-सतपाल सिंह क्रमशः ममता यादव के पिता और पति हैं, इसलिए उनकी मदद के बिना वह न तो निवास प्रमाण पत्र तैयार कर सकती थी या न ही दो पाठ्यक्रमों यानी बी. ए. द्वितीय वर्ष और बी. ए. तृतीय वर्ष के साथ-साथ जे. बी. टी. के दो साल के पाठ्यक्रम में एक ही शैक्षणिक सत्र में दोहरी शिक्षा में प्रवेश प्राप्त कर सकती थी।

(10) जहां तक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के सीमित दायरे का सवाल है, विद्वान वरिष्ठ वकील हाईडू बनाम केरल राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फेसले और राम सरूप बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस अदालत की एक समन्वय पीठ के फेसले के हवाला देते हैं!

(11) इसके विपरीत, प्र तिवादी-शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता इस मामले में इस कारण से आकर्षित नहीं होगी कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर पिछली शिकायत को प्रारंभिक सबूत के स्तर पर वापस ले लिया गया था और बाद की शिकायत, जिसके आधार पर वर्तमान कार्यवाही शुरू की गई थी, कुछ अतिरिक्त तथ्यों के साथ दायर की गई थी, जैसे कि, वह आगे प्रस्तुत करता है कि पहली शिकायत के अनुसार कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी, इसलिए, दूसरी शिकायत दोहरी खतरे के बराबर नहीं होगी और धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता को आकर्षित नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि विद्वान निचली न्यायालय ने शिकायत द्वारा दायर दूसरी शिकायत को इस आधार पर खारिज नहीं किया कि यह विचारणीय नहीं है। बल्कि, समान जारी किए गए और ममता यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए, हालांकि, याचिकाकर्ताओं को आरोपमुक्त कर दिया गया, गलत तरीके से। दूसरा विवाद विद्वान राज्य के वकील का कहना है कि जहां तक राशि का संबंध है, न्यायालय ने किसी भी अतिरिक्त सबूत की सराहना नहीं की है जैसा कि विद्वान राज्य के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बल्कि उसने उस सबूत पर विचार किया है जो पहले से ही रिकॉर्ड में था, जिसके आधार पर मामले को अभिलेख पर पहले से उपलब्ध स बूत पर उचित रूप से विचार करने के लिए नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया है।उन्होंने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता और ममता यादव हरियाणा और राजस्थान दोनों से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने में एक-दूसरे के साथ साजिश कर रहे थे। हरियाणा राज्य से प्राप्त अधिवास के आधार पर, ममता यादव ने नियुक्ति प्राप्त की थी, जो संबंधित अधिकारियों को दी गई गलत जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी। उनके द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसी तरह ममता यादव ने राजस्थान राज्य से प्रवेश और अधिवास के रूप में अपने पिता, याचिकाकर्ता संख्या 1 के हस्ताक्षर के साथ जो दोहरी शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी, वह उनके पति, याचिकाकर्ता संख्या 2 के दस्तावेजों पर

आधारित थी।इसी तरह, हरियाणा राज्य से जो अधिवास खरीदा गया था, वह सी. डब्ल्यू.-3, अनुलग्न पी-5 के रूप में सरपंच-होशियार सिंह के बयान के अनुसार नेहरूगढ़ गाँव में रहने के बिना था। इसलिए हरियाणा राज्य से अधिवास ममता यादव द्वारा उनके पति के दस्तावेजों के आधार पर खरीदा गया था। इस प्रकार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

1 1997(4) आर. सी. आर (सीआरएल.) 449

2 2004 (12) एस. सी. सी. 374

(12) पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों को काफी देर तक सुना।

चर्चाः

(13) पक्षों के बीच स्वीकार किया गया तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी ने वर्ष 2007 में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे उसके बयान पर वापस ले लिया गया था, जिसे उसे वापस लेने की अनुमति देने वाला आदेश पारित किया गया था, जिसे दिनांक 11.6.2009, Ex.D3 के माध्यम से पारित किया गया था।

(14) इसके बाद, दिनांक 26.07.2012 को उनके द्वारा ममता यादव, उनके पिता, कमल सिंह, याचिकाकर्ता संख्या 1 और उनके पति, सतपाल सिंह याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ आरोपों के उसी सेट पर उनके द्वारा दूसरी शिकायत दर्ज की गई, जिसमें दिनांक 14.07.2015 ममता यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 420,467,468,471 और 120-बी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था, जबकि याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत केवल सतपाल की पत्नी ममता यादव के खिलाफ दिनांक 16.11.2016 के आदेश के तहत आरोप तय किया गया था। हालांकि, सम तिथि के आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं को यह कहते हुए आरोपमुक्त कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं पाया गया है, जो कि यदि अप्रमाणित हो तो उन्हें दोषी ठहराए जाने की गारंटी दे सकता है।

(15) इस संबंध में प्रासंगिक पैरा को यहाँ पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः-

> “7. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा उठाई गई दलीलों को सुनने के बाद, वास्तव में आरोपी नंबर 2 और 3 के बीच किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिलता है।केवल यह तथ्य कि अभियुक्त संख्या 2 अभियुक्त संख्या 1 का पिता है और अभियुक्त संख्या 3 अभियुक्त संख्या 1 का पति है, वास्तव में यह संकेत नहीं दे सकता कि किसी भी अपराध को करने में उनकी कोई भूमिका थी। यदि वास्तव में कोई गलत जानकारी दी गई थी या कोई गलत प्रमाण पत्र जारी किया गया था या गलत विवरण दिखाकर नौकरी प्राप्त की गई थी, तो यह नहीं माना जा सकता है कि यह आरोपी संख्या 2 और 3 के साथ साजिश थी।

उक्त अभियुक्त संख्या 2 और 3 के खिलाफ यह दिखाने के लिए कोई सकारात्मक और ठोस सबूत नहीं है कि प्रथमदृष्टया कोई आपराधिक साजिश की गई थी।चूंकि अभियुक्त संख्या 2 और 3 के खिलाफ कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाया गया है, जो कि यदि उनकी दोषसिद्धि का कारण बन सकता है, तो अभियुक्त संख्या 2 और 3 को आरोपमुक्त कर दिया जाता है।"

(16) उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से एक विशिष्ट आपत्ति ली गई थी कि शिकायतकर्ता-प्रतिवादी द्वारा दायर की गई इसी तरह की शिकायत को देखते हुए, वर्ष 2009 में वापस ले लिया गया था, उसी पर दूसरी शिकायत सुपिंदर सिंह (सुप्रा) के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं थी।निचली अदालत ने एक स्पष्ट निष्कर्ष इस आशय से वापस किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और यदि एक बार आपराधिक शिकायत वापस ले ली जाती है, तो शिकायतकर्ता को नई शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अन्यथा मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।

(17) जिस पुनरीक्षण में पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश को रद कर दिया है और आरोप तय कर देंने के मुद्दे पर नए सिरे से आदेश पारित कर देंने के लिए मामले को प्रेषित किया है, उसमें यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि दूसरी शिकायत की आपत्ति बनाए रखने योग्य नहीं होने के संबंध में, यह इस प्रकार दर्ज किया गया है कि इसे निचली अदालत के समक्ष लिया जाना चाहिए था, जो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं किया गया है और इस प्रकार, उक्त आपत्ति को पुनरीक्षण स्तर पर मान्य नहीं माना गया था, जो अभिलेख के विपरीत है।

वि'लेषण

(18) सुपिंदर सिंह (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने पहली शिकायत वापस लिए जाने के बाद, दूसरी शिकायत की रखरखाव के संबंध में उसी मुद्दे पर विचार किया था। और यह अभिनिर्धारित किया कि शिकायत को वापस लेना धारा 257 दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में अभियुक्त को दोषमुक्तिने के बराबर है, भले ही वापस लेने की अनुमति देने वाले आदेश में, यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के प्रावधान को देखते हुए एक नई शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।राम सरूप (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह भी अभिनिर्धारित किया था कि पुनरीक्षण स्तर पर सबूत का पुनः मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है और इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है। इस प्रकार, यह इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि सभी चार पर उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होता है।

(19) जहाँ तक विवादित आदेश का संबंध है, न्यायालय इस निर्णय पर पहुँचा है कि याचिकाकर्ताओं को इस एकमात्र कारण से गलत तरीके से आरोपमुक्त किया गया था कि याचिकाकर्ता ममता यादव के पिता और पति हैं, जिनकी जानकारी और सक्रिय समर्थन के बिना उनके द्वारा कथित रूप से की गई धोखाधड़ी नहीं की जा सकती थी। ऐसा निष्कर्ष निकालना प्रत्यक्षत विपरीत है। आवेदन पर याचिकाकर्ता संख्या 1 के पिता के केवल हस्ताक्षर, जिसमें ममता यादव ने प्रवेश की मांग की थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो प्रवेश रद्द किया जा सकता है और यह तथ्य कि वह गांव नेहरूगढ़ में नहीं रहती है या उसके पास मतदाता कार्ड या राशन कार्ड है, इस निष्कर्ष का आधार पाया गया है कि ममता यादव के पति ने उसे अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने में मदद की होगी, जो प्रथमदृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी को आकर्षित नहीं करता है।

(20) शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता केवल तभी आकर्षित होती, जब शिकायतकर्ता द्वारा दायर पिछली शिकायत को प्रारंभिक सबूत दर्ज किए जाने के बाद वापस ले लिया जाता, सुपिंदर सिंह (सुप्रा) के मामले के फैसले को देखते हुए मान्य नहीं है, जिसमें शिकायत को भी प्रारंभिक चरण में ही वापस ले लिया गया था और उसमें उ ल्ले खित आधार यह था कि आरोपी कम्पनी (संगठन) कलकत्ता स्थानांतरित हो गई थी और इस प्रकार, शिकायतकर्ता शिकायत के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता था।(21) इस संबंध में, सुपिंदर सिंह (सुप्रा) के पैरा 11,13 और 14 का एक विशिष्ट संदर्भ देना अनिवार्य है, जो इस प्रकार हैः- “11.याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसी तरह जब शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस ली जाती है, तो मजिस्ट्रेट को उसे वापस लेने की अनुमति देनी होती है और इसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 257 को देखते हुए आरोपी को बरी कर दिया जाता है। अतः उन्होंने यह तर्क देता है कि भले ही विद्व ान अतिरिक्त मुख्य न्यायधीश मेजिस्ट्रेट ने यह उल्लेख नहीं किया है कि वह याचिकाकर्ताओं को बरी कर रहा था, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि उसने धारा 257 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया था।

12. XXXXXX

13- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने भी सुरजीत कौर बनाम मामले में इस अदालत के एक अन्य फैसले पर भरोसा किया। पंजाब राज्य, 1984 (1) आर. सी. आर. 169, उनके इस तर्क के समर्थन में कि एक बार शिकायत को म जिस्ट्रेट द्वारा वापस लिए जाने के रूप में रद कर दिया जाता है, उन्हीं तथ्यों और कार्यवाही के कारण पर एक नई शिकायत सक्षम नहीं है। क्या हुआ, उस मामले में प्रतिवादी (उच्च न्यायालय के समक्ष) ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419,420,465,466,467 और 471 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयान को देखते हुए शिकायत को वापस लेते हुए रद कर दिया गया था। अदालत ने शिकायतकर्ता को दस्तावेज एकत्र करने के बाद नई शिकायत दर्ज करने की भी स्वतंत्रता दी थी। अगले ही दिन, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एक नई शिकायत दायर की गई, जिसे

याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर अक्षम बताते हुए चुनौती दी गई कि यह समान तथ्यों और कार्यवाही के कारण पर था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दूसरी शिकायत सक्षम नहीं है।

14. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, जो स्थिति सामने आती है वह यह है:हालाँकि, एक शिकायत को केवल वापस लिए जाने के रूप में रद कर दिया जाता है, शिकायत में आरोपी को धारा 257 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में निहित प्रावधानों को देखते हुए बरी माना जाना चाहिए क्योंकि इस धारा में आदेश दिया गया है कि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने की अनुमति देता है, वह उस आरोपी को बरी कर देगा जिसके खिलाफ शिकायत इस तरह से वापस ली गई है। इसलिए भले ही विद्वान मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश में, यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्त को प्रत्यापित (बरी) किया गया है, लेकिन शिकायत को केवल वापस लिए जाने के रूप में रद कर दिया गया है, हमें आदेश को उसके कानूनी परिणाम पर ले जाना होगा, यानी हमें यह विचार करना होगा कि अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है।एक बार जब अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है, तो धारा 300 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के साथ-साथ समान तथ्यों और कार्यवाही के कारण के आधार पर कोई भी नई शिकायत सक्षम नही होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के धारा (2) में निहित प्रावधान। इसलिए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि शिकायत को केवल वापस ले लिया गया है और अभियुक्तों को बरी नहीं किया गया है, कोई लाभ नहीं होगा।"

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि एक शिकायत को वापस लिए जाने के रूप में रद कर दिया गया था, शिकायत में आरोपी को बरी माना जाना चाहिए। इसलिए, भले ही विद्वान मजिस्ट्रेट के अंतिम आदेश में, यह उल्लेख नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त को बरी कर दिया गया है/किया गया है, लेकिन शिकायत को केवल वापस लिए जाने के रूप में रद कर दिया जाता है, कानूनी परिणाम वही रहेगा।

(22) जहाँ तक शिकायतकर्ता-प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि पुनरीक्षण न्यायालय ने किसी भी अतिरिक्त सबूत की सराहना नहीं की थी, बल्कि पहले से ही रिकॉर्ड में मौजूद सबूत पर विचार किया था, वही पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में स्वीकार्य है, इस कारण से त्रुटिपूर्ण है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों के आधार पर इस न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष इस आधार पर है कि पुनरीक्षण न्यायालय के पास मौजूदा सबूत की पुनः सराहना करने की भी शक्ति नहीं है और केवल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है यदि कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता या भौतिक सबूत है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा या गलत पढ़ा गया है, जो रद करने के उद्देश्य से विवादित आदेश में बनाया गया आधार नहीं था।

(23) किसी निजी पक्ष द्वारा बरी/दोषमुक्ति किये जाने के खिलाफ दायर संशोधन में निर्धारित कानून के अनुसार, न्यायालय धारा 397 और 401 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हो या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी भौतिक सबूत की अनदेखी या गलत तरीके से पढ़ा गया हो। इस संबंध में, हाइडू (सप्रा) के मामले में पैरा 3 का एक विशिष्ट संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:-

"विवादित आदेश के खाली अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय पुनर्मूल्यांकन पर अपील न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचा। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक निजी पक्ष द्वारा बरी/दोषमुक्ति किये जाने के खिलाफ संशोधन में, पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां बहुत सीमित हैं। यह केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता हो या अधीनस्थ अदालत द्वारा भौतिक सबूत की अनदेखी की गई हो या गलत पढ़ा गया हो। यदि सबूत के पुनर्मूल्यांकन पर, दो विचार संभव हैं, तो दोषमुक्ति के खिलाफ अपील में अपील न्यायालय के लिए भी 1168 में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। उसी के साथ, संशोधन में बहुत कम जहां शक्तियां बहुत संकीर्ण हैं। सत्र न्यायालय के उस आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं पाई गई है जिसमें अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया था। इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए दोषमुक्ति किये जाने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है।

(24) इसके अलावा, राम सरूप (सप्रा) के मामले में निर्णय के पैरा 10 से 14 का संदर्भ दिया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार हैः- "10. अन्यथा भी, पुनरीक्षण चरण में हस्तक्षेप का दायरा प्रकृति में बहुत सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन, ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1960 के मामले में यह कहा गया है कि आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गंभीर रूप से प्रतिबंधित है और वह साक्ष्य की पुनः प्रशंसा शुरू नहीं कर सकता है। इसके अलावा, इस मुद्दे पर, यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः-

"अब, यह स्पष्ट है कि यह प्र'न कि क्या अपीलकर्ता बस चलाने में लापरवाही का दोषी था और मृतक की मृत्यु उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी, तथ्य का प्र'न है जो इसके निर्धारण के लिए, साक्ष्य की सराहना पर निर्भर करता है। मूल स्तर पर मामले की सुनवाई करने वाले विद्व ान म' जिस्ट्रेट और अपील की सुनवाई करने वाले विद्व ान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दोनों, साक्ष्य के मूल्यांकन पर, इस तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष पर पहुंचे कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ता द्वारा बस को लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय एक प्रतिबंधित प्रकृति की पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था और इसलिए, यह निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना करने से इनकार करना उचित होगा कि क्या विद्वान म' जिस्ट्रेट और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष सही था।"

11. इसी तरह, संशोधन के दायरे पर चर्चा करते हुए, केरल राज्य बनाम पुट्टमाना इ ल थ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ज थ वेदन नम्बूदिरी, ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 981 ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- "उच्च न्यायालय के विवादित फैसले की जांच करने और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए

तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हमें कोई हिचकिचाहट नही है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि वर्तमान में मामले में, उच्च न्यायालय ने अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को पार कर लिया है। अपने पुनरीक्षण क्षेत्रधिकार में, उच्च न्यायालय किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी कार्यवाही के रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है।दूसरे शब्दों में, न्यायाधीश अधिकार क्षेत्र न्याय की विफलता को ठीक करने के लिए उच्च न्यायाधीशालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्रों में से एक है। लेकिन उक्त पुनरीक्षण शक्ति को अपील न्यायालय की शक्ति के बराबर नहीं माना जा सकता है और न ही इसे दूसरे अपीलीय अधिकार क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है। सामान्य तौर पर, इसलिए, उच्च न्यायालय के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह साक्ष्य की पुनः सराहना करे और उसी पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचे, जब मजिस्ट्रेट के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश द्वारा अपील में साक्ष्य की पहले ही सराहना की जा चुकी है, जब तक कि कोई स्पष्ट विशेषता उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाई जाती है जो अन्यथा न्याय की घोर विफलता के समान होगी।"

12. किसी भी मामले में, पुनरीक्षण स्तर पर साक्ष्य की पुनः प्रशंसा की अनुमति नहीं है और इस स्तर पर हस्तक्षेप करने की इस न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है। ऐसा था। महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय मंगेश पोयरेकर **2008 (4)** आर**.** सी**.** आर**. (**सी.आर.एल.**)555.** ममले मे ऐसा देखा गया था।

13. इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह उपनाम बी**.** पी**.** सिंह और अन्य बनाम। बिहार राज्य (अब झारखंड) और दूसरा, ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2907 मे पाया गया कि प्रक्रिया में या मुकदमे के संचालन में किसी भी कानूनी दुर्बलता की अनुपस्थिति में में, उच्च न्यायालय के लिए अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

14. मौजूदा मामले के अभिलेखों से पता चलता है कि निचली अदालतों ने किसी भी विकृति, अनियमितता या अवैधता के बिना साक्ष्य और विवादित निर्णय के उचित मूल्यांकन पर तथ्य का निष्कर्ष दिया है। दी गई सजा भी किए गए अपराध के अनुरूप है। इस प्रकार, विवादित निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।"

निष्कर्षः

(25) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्टता को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कानून को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका की अनुमति है। आक्षेपित आदेश दिनांक 26.05.2017, अनुलग्नक पी-4, को अलग रखा गया है।

(26) इसमें किसी भी बात को मामले के गुण-दोष पर एक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और निचली अदालत वर्तमान निर्णय में किए गए किसी भी अवलोकन से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी और मामले का फैसला करेगी, जो केवल वर्तमान याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से था।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरणः- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translator (भाषा अनुवादक)

सीमा शर्मा

माननीय न्यायालय श्री सुदीप गोयल अतिरिक्त जिला स्तर न्यायधीश, यमुनानगर (जगाधरी)